राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–3137/2024

धीरज कुमार शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (ग्रुप–2) एवं पंचायतीराज (चिकित्सा) विभाग, जयपुर राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.10.2024
आदेश की दिनांक : 24.10.2024
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री अनूप पारीक, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी को पूर्व में आदेश दिनांक 04.03.2024 के द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया था और मुख्यालय निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर में उपस्थिति देने के निर्देश दिये गये थे। उक्त आदेश को अपीलार्थी ने इस अधिकरण समक्ष चुनौती दी थी। अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 02.04.2024 पारित कर अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में किये जाने के आदेश दिनांक 04.03.2024 की क्रियान्विति स्थगित रखे जाने के आदेश दिये थे और यह भी आदेश दिया था कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावें, जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था। इसके पश्चात आलोच्य आदेश में दिनांक 18.07.2024 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में होना मानते हुए अपीलार्थी का पदस्थापन एसडीएच सिवाणा, बालोतरा किया गया। अपीलार्थी का मुख्य रूप से तर्क है कि पूर्व में अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में किये जाने के आदेश को अधिकरण द्वारा स्थगित किया गया है। ऐसे

में अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में होना मानते हुए स्थानान्तरित किये जाने का आदेश पारित किया जाना उचित नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी की पत्नी वर्तमान में लालसोट में राजकीय सेवा में कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण करीब 400 किमी. दूर किया गया है जो उचित नहीं है। राज्य सरकार की नीति रही है कि पति–पत्नी को एक ही स्थान पर पदस्थापित रखा जाए। उक्त नीति के विरूद्ध जाकर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को सुदूर पदस्थापित किये जाने का आदेश पारित किया जाना उचित नहीं है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)